कार्यालय कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक (सर्व शिक्षा अभियान) जिला पन्ना

क/जिशिके /स्था0/2011 / 363 पन्ना दिनांक :–10/2/2011

विज्ञापन

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान जिला पन्ना अन्तर्गत रिक्त पदों की पूर्ति संविदा/प्रतिनियुक्ति पर किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते है विज्ञापन में दर्शाये गये पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। निम्नानुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्हता धारी उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक 25/2/11 अंतिम तिथि तक कार्यालीन समय 5:30 पी.एम. पर शासकीय अवकाश का छांडकर कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना में जमा करें। आवेदन पत्र के प्रारुप कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र/जनपद शिक्षा केन्द्रों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनो पर कोई बिचार नही किया जायेगा।

0	पद नाम	पद संख्या	नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता	संविदा पर प्राप्त मासिक परिलब्धियॉं	प्रतिनियुक्ति की शर्ते एवं वेतनमान
1	2	3	4	5	6
	उपयंत्री संविदा/ प्रतिनियुक्ति	कुल–6 ST-02 अनारक्षित-01 SC-02 OBC-01	1. किसी भी मान्यता प्राप्त इजीनरिंग कालेज से द्वितीय श्रेणी में सिविल इन्जीरिंग में डिग्री अथवा पोलीटेकनिक महाविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में सिविल इंजीनरिंग में डिप्लोमा।प्रथम श्रेणी को प्राथमिकता 2. कम से कम दो वर्ष का भवन निर्माण कार्य का अनुभव। 3. ग्रामीण क्षेत्र के भवन निर्माण कार्य के अनुभव को प्रथमिकता दी जायेगी।	कुल मासिक परिलब्धियॉं रूपये 11025/– (निर्धारित कार्य उपलब्धि के आधार पर)	मूल विभाग से उपयंत्री के पद पर वेतनमान 5000–8000 (6 वे वेतनमान के पूर्व का वेतनमान)
	लेखापाल प्रतिनियुक्ति/ सेवा निवृत्त लेखापाल (संविदा)	कुल–01	1. लेखा परीक्षा उत्तीर्ण 2. लेखा कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव 3. दोहरा लेखा प्रणाली एवं कम्प्यूटर के ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता होगी। 4. सेवा निवृत्त लेखापाल की उम्र 68 वर्ष से अधिक न हो	सेवा निवृत्ति पर कुल परिलब्धियॉं–पेंशन देय=मासिक परिलब्धियॉं	5200–20200+ग्रेड पे–2400
	विकासखण्ड जेण्डर समन्वयक प्रतिनियुक्ति	कुल–04	1.पढाने का कम से कम पॉच वर्ष का अनुभव हो 2.सतत रूप से भ्रमण करने की क्षमता होनी चाहिये। 3.माध्यमिक शाला की महिला प्रधानाध्यापिका को प्राथमिकता 4.विधवा/परित्यक्ता को प्राथमिकता	–	वेतनमान 5500–9000 महिला शिक्षिका (6 वे वेतनमान के पूर्व का वेतनमान)
	वार्डन कस्तूरवा गॉधी बालिका बिद्यालय प्रतिनियुक्ति	कुल–02	1-महिला शिक्षिका (बच्चे 10 वर्ष से अधिक आयु के हो) 2.बालिका छात्रावास में रहने हेतु सहमत हो। 3.सक्रिय समर्पित भाव से कार्य करने के इच्छुक हो।	–	प्रतिनियुक्ति पर वेतनमान वेतन+1500
	वार्डन बालिका छात्रावास प्रतिनियुक्ति	कुल–03			प्रतिनियुक्ति पर वेतनमान वेतन+1500
	शिक्षिका सह–सहायक वार्डन कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय	कुल–02 संविदाSC-01 अनारक्षित-01	1 स्नातक हो व्यवसायिक दक्षता कौशल का डिप्लोमा 2.बालिकाओं की देखभाल करने में सक्षम हो 3.बालिका छात्रावास में पूर्णकालिक रूप से रहने हेतु सहमत सेवाभाबी साहदया . 4.बालिकाओं की पढई में भी सहायता कर सकती हो	संविदा से नियुक्ति संविदा पर मासिक परिलब्धियॉं 6500 रूपयें	–
	शिक्षिका सह–सहायक वार्डन छात्रावास बालिका	कुल–03 संविदाSC-01 अनारक्षित -02	5.विधवा परित्यक्ता 35 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता 6.विवाहित महिलाओं की स्थिति में ऐसी महिलायें जिनके बच्चें 10 बर्ष से छोटे न हो।	संविदा से नियुक्ति संविदा पर मासिक परिलब्धियॉं 6500 रूपयें	
	विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक प्रतिनियुक्ति	कुल–02	1.उ.श्रे.शि. या उ.श्रे.शि. उपलब्ध न होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर के वे प्र.अ. होगें जो स्नातक है, डी.एड./बी.एड की उपाधि रखते है, जिनका वेतनमान उच्च श्रेणी शिक्षक के समकक्ष हो। 2.अभ्यर्थियों को शारीरिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसंपर्क स्थापित कर सके।		वेतनमान 4000–6000 रू. (6 वे वेतनमान के पूर्व का वेतनमान)
	डाटा इन्ट्री आपरेटर संविदा	कुल–02 अनारक्षित-02	1.स्नातक उपाधि एवं मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र कम्प्यूटर पर कार्य करने के अनुभव को प्राथमिकता 2.डिप्लोमा इंन कम्प्यूटर एप्लीकेशन शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /मण्डल द्वारा एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव	संविदा से नियुक्ति संविदा पर मासिक परिलब्धियॉं रूपयें 4000–6000	–

अन्य आवश्यक जानकारी एवं शर्ते एन.आई.सी. पन्ना की साईड panna.nic.in तथा कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र के सूचना पटल पर देखें।

एन.आई.सी. पन्ना की ओर विज्ञापन अपलोड करने हेतु।

कलेक्टर
सह जिला मिशन संचालक,
सर्व शिक्षा अभियान जिला पन्ना

विकासखण्ड जेण्डर समन्वयक/ वार्डन/शिक्षका सह सहायक वार्डन नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तेः–

- लिखित परीक्षा /साक्षात्कार एवं मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रतिनियुक्ति/संविदा पर लेने की कार्यवाही की जावेगी।
- नियमित शिक्षिका की अनुपलब्धता की स्थिति में अध्यापिकाओं से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

उपयंत्री पदपूर्ति हेतु शर्तेः–

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई स्वरूप की ही रहेगी तथा संविदा शर्तो के अधीन रहेगी। संविदा सेवा से शासकीय का कोई अधिकार निर्मित नहीं होगा।
- संविदा सेवा अवधि प्रथमतः एक वर्ष की होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने पर सेवा अवधि में वृद्धि में विचार किया जा सकेगा यदि कर्मचारी का परफारमेंन्स एवं कार्य प्रणाली संतोष जनक नही पाई जाती है तो उस स्थिति में बिना किसी कारण एवं पूर्व सूचना के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- कार्यकारणी समिति के निर्णय के आधीन रहते हुये सेवा अवधि वृद्धि एवं सेवा समाप्ति का अधिकार जिला स्तरीय नियुक्ति के पास सुरक्षित रहेगा।
- टी.ए./डी.ए. का भुगतान मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार होगा।
- प्रतिनियुक्ति पूर्णतः समान वेतनमान एवं समान सामर्थ्य में की जावेगी।

लेखापाल पदपूर्ति हेतु शर्तेः–

- प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अभ्यर्थी का वेतनमान वर्तमान में उनके मूल विभाग के कालम 3 पर दर्शित वेतनमान से कम नहीं होना चाहिए।
- प्रतिनियुक्ति अवधि में म.प्र.शासन के प्रतिनियुक्ति नियम एवं शर्ते लागू होगी। प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन अपने मूल विभाग के माध्यम से भिजवायें।
- संविदा आधार पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई रहेगी। संविदा सेवा अवधि प्रथमता एक वर्ष की होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
- सेवा निवृत्त लेखापाल ही संविदा पर लिये जायेगें।

डाटाइंट्री आपरेटर हेतु शर्तेः–

- संविदा आधार पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई रहेगी। संविदा सेवा अवधि प्रथमता एक वर्ष की होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

अन्य शर्ते :–

- प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान उनके मूल विभाग में कालम 6 पर दर्शित वेतनमान से कम नहीं होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रतिनियुक्ति अवधि में म.प्र.शासन प्रतिनियुक्ति नियम व शर्ते लागू होगी।
- संविदा पर नियुक्ति जिले के आरक्षण रोस्टर अनुसार होगी।
- संविदा आधार पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई स्वरूप रहेगी संविदा सेवा से शासकीय सेवा का कोई अधिकार निर्मित नहीं होगा।
- सेवा अवधि में टी.ए /डी.ए का भुगतान मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार होगा।

कलेक्टर
सह जिला मिशन संचालक,
सर्व शिक्षा अभियान जिला पन्ना